54

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, कैम्प रीवा, म0प्र0

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

Rs.20 COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES

निग0/सिंगरौली/17/6042

8.8.2017

सीताराम पिता लखपती राम विश्वकर्मा निवासी ग्राम टेकी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 —

—— निगरानीकर्ता

बनाम

1- श्यामलाल पिता सीताराम साहू निवासी ग्राम टेकी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

2- म0प्र0 शासन —

—— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढ़न, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र. 61/अ-12/16-17 पारित आदेश दिनांक 17.07.17, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई.।

अधि0 श्री आर0के0 देव
पाण्डेय द्वारा पेश। 12.12.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि विवादित भूमि नं0 216 का सीमांकन राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढ़न, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली के द्वारा की गई, जिससे ~~विवादित~~ विवादित भूमि को अनावेदक के स्वत्व तथा अधिपत्य मे मानी जाकर सीमा चिन्ह अंकित किया गया, उसी भूमि के दक्षिण-पश्चिम सीमा पर 0.056 हे. मे सीताराम वगैरह का स्वत्व तथा अधिपत्य माना गया, और कृषि कार्य किया जाकर, विधिवत कब्जा करना पाया गया, आपत्ति भी की गई, जबाब भी लिया गया, जिसकी प्रति अनावेदक को दी गई थी, इस बिन्दु का अवलोकन न करने मे कानूनी भूल की गई है।

B.P. Pandey
A.A.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी / सिंगरोली / भू.रा. / 2017 / 6042

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19/6/18 | आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त बैढ़न तहसील सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 61अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 17–7–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन देने पर राजस्व निरीक्षक वृत्त बैढ़न तहसील सिंगरोली ने ग्राम ढेंकी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 216 का सीमांकन किया है। सीमांकन के पूर्व मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की गई है तथा मौके पर पुलिस बल के साथ एंव ग्रामीणों के समक्ष सीमांकन करते हुये पंचनामा भी तैयार किया है। आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। तहसील न्यायालय में आवेदक ने सीमांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है, परन्तु आपत्ति पर साक्ष्य एंव सुनवाई न करते हुये एकपक्षीय सीमांकन अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।<br>3/ प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि ग्राम ढेंकी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 216 का अनावेदक क्र–1 रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण इस भूमि का सीमांकन कराने हेतु | |

वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त बैढ़न तहसील सिंगरोली के प्रकरण कमांक 61अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 17–7–17 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य